उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या– 14/2017

द्वारिका महतो वगै० बनाम् बबनी मुण्डा वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख
19-07-2022	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी द्वारिका महतो वो० दिलीप महतो वो० अशोक कुमार वो० सुरेन्द्र महतो सभी के पिता–स्व० हरिचरण महतो, ग्राम–गोरीयरी बागी, रामगढ़ थाना+जिला–रामगढ़ के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या 10/2011–12 बबनी मुण्डा वगै० बनाम् परमेश्वर महतो एवं अन्य में दिनांक 10.01.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा रामगढ़ थाना न०–82 थाना रामगढ़ जिला रामगढ़ के खाता न0–141 प्लॉट न0–2049 रकवा–2.89 ए0 मंघ्ये रकवा 1.31 ए0 भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों को कई बार सुनवाई हेतु समय देने के बावजूद वे लम्बे समय से अनुपस्थित रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त वाद के संबंध में उन्हें किसी भी प्रकार की अभिरूचि नही है। इसलिए अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं प्राप्त निम्न न्यायालय के अभिलेख के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है। उभय पक्षों के द्वारा संलग्न कागजातों, लिखित अभिकथन एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा रामगढ़ थाना न०–82 थाना रामगढ़ जिला रामगढ़ के खाता न0–141 प्लॉट न0–2049 रकवा–2.89 ए0 मघ्ये रकवा 1.31 ए0 भूमि सर्वे खतियान लेदुवा मुण्डा वगै० के नाम दर्ज है, द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा करते है। अपीलार्थी के द्वारा आदिवासी से भूतपूर्व जमींदार को हस्तातंरित होने के पश्चात प्रश्नगत भूमि को प्राप्त	

करने का आधार पर दावा करते है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा रामगढ़ पंजी II के पृष्ट संख्या–127/4 पर गैर आदिवासी एवं मौजा रामगढ़ पंजी II के पृष्ट संख्या–53/40 पर आदिवासी की जमाबंदी कायम है। लेकिन अपीलार्थी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। प्रथम पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश यथावत् रखने की कृपा की जाय।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा रामगढ़ पंजी II के पृ०सं० संख्या–127/4 पर गैर आदिवासी एवं मौजा रामगढ़ पंजी II के पृष्ट संख्या–53/40 पर आदिवासी के नाम से जमाबंदी कायम है। अपीलार्थी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है अर्थात गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए है।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ में अपने आदेश में प्रतिवेदित किया है कि मौजा रामगढ़ के खाता न0–141 प्लॉट न0–2049 रकवा–2.89 ए0 मध्ये रकवा 1.31 ए0 भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। जिस पर व्यवहार न्यायालय में बंटवारा वाद संख्या–17/04 लंबित है जो आदिवासी रैयत के आपसी घरेलु बंटवारा से संबंधित है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदत किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर आदिवासी रैयत को दखल दिहानी करायी जा चुकी है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या 10/2011–12 बबनी मुण्डा वगै० बनाम् परमेश्वर महतो एवं अन्य में दिनांक 10.01.2017 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46–4(ए) के तहत पारित आदेश को यथावत् रखाते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.08.08 12:36:46 +05:30
Location: 192.168.0.34

19.7.2022

उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
19.7.2022

उपायुक्त,
रामगढ़।